Demand to give status of Bhangaram Devi Fair as national fair

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़ : उपसभाध्यक्ष महोदया, बड़े गर्व की बात है कि हम आदिवासियों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को संजो कर रखा है और विरासत में अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं।

महोदय, बस्तर के कोण्डागांव जिले केशकाल में भंगाराम देवी का मेला लगता है और यह बड़ा अनोखा होता है। यह मेला आदिवासी विशेषकर गोंड जनजाति के लोगों की आस्था का केंद्र भी है जिस तरह न्यायाधीश मामले को सुनते हैं और न्याय देते हैं, उसी तरह मेले में भंगाराम देवी की अदालत में सभी देवी-देवताओं की पेशी होती है और उनसे पूरे साल के कार्यों का ब्यौरा लेती है। यदि उस लेखा-जोखा में किसी देवी-देवता की गलती निकलती है, तो माता उसे निष्कासित भी कर देती है या उनके कार्यों को कुछ समय के लिए रोक देती है। मेले में लाखों लोग आते हैं, लेकिन स्थानीय क्षेत्र का विकास नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि भंगाराम देवी के मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया जाए और क्षेत्र के विकास के लिए अलग से कार्य योजना बनाई जाए।

THE VICE-CHAIRPERSON (MS. KAVITA PATIDAR): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shrimati Phulo Devi Netam: Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala) and Shri Haris Beeran (Kerala).

Demand to confer Bharat Ratna on Pandit Lakhmi Chand

श्री कृष्ण लाल पंवार (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान हरियाणवी साहित्य और लोक कला की दुनिया के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पंडित लखमीचंद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। "सूर्य-कवि" के रूप में जाने जाने वाले और "हरियाणा के शेक्सपियर" के रूप में जाने जाने वाले पंडित लखमीचंद ने उत्तर भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी है, खासकर हरियाणवी रागिनी और गीत में उनके योगदान के माध्यम से।

पंडित लखमीचंद की रचनाएँ हरियाणा के लोकाचार और परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं। रागिनी की कला में उनकी महारत, लोक कविता के एक पारंपरिक रूप ने उन्हें भारतीय साहित्य के इतिहास में एक सम्मानित स्थान दिलाया है। उनकी रचनाओं की काव्य प्रतिभा और सांस्कृतिक गहराई ने न केवल हरियाणवी साहित्य को समृद्ध किया है, बल्कि पीढ़ियों तक इसके संरक्षण और प्रसार को भी सुनिश्चित किया है।

मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि पंडित लखमीचंद को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस प्रकार की मान्यता न केवल उनके अद्वितीय

योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी, बल्कि भावी पीढ़ियों को हमारी भूमि की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को संजोने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRPERSON (MS. KAVITA PATIDAR): Dr. M. Thambidurai; not present. Shri A.D. Singh.

Demand to protect traditional silk handloom weavers in the country particularly in Varanasi and Bhagalpur

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Madam, traditional silk handloom weavers in the country, particularly in eastern UP and Bihar are facing immense difficulties in keeping their heritage alive. In Varanasi, a community of 3 lakh weavers has dwindled to 40,000. In Bhagalpur in Bihar, five years back, there used to be around two lakh weavers, but now only 60,000 weavers are there. The business from the place has also come down from Rs.600 crore in 2015 to Rs.150 crore.

The Varanasi and Bhagalpur silk is a renowned product in the world and many weavers have got the Government's Geographical Indication tag, in view of its quality and distinctiveness. Banarasi and Bhagalpur Silk sarees boast a rich heritage that dates back to centuries. Crafted by skilled artisans using traditional techniques passed down through generations, the sarees embody the cultural essence of the regions.

In view of the rising cost of the yarn and low demand, the handloom silk industry is dying. The traditional weavers in many places who have worked for generations are opting for some other occupation for their livelihood. The older weavers have become construction workers or rickshaw pullers where as the young one are opting for call centres and security services as they don't find weaving profitable. The Ministry's help through the National Handloom Development Programme is not enough to sustain the handloom silk industry. These weavers need incentives, subsidies and continuous work. Traditional skill is our heritage and culture, which needs to be protected. I urge upon the Government to take necessary action. Thank you.

THE VICE-CHAIRPERSON (MS. KAVITA PATIDAR): The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri A.D. Singh: Dr. John Brittas (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. V. Sivadasan